भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 404
दिनांक 04 फरवरी, 2025/ 15 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए निधि

†404. श्री अबू ताहेर खान:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत पिछले दो वर्षों से निधि का आवंटन रोक दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) 2019 से कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तव में जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
(ग) राज्यों के मार्च 2024 तक लंबित निधि जारी करने के दावों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या इसके जारी होने की कोई संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): बीएडीपी के अंतर्गत अनुमोदित कार्यों/परियोजनाओं के लिए निधि, संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को जारी की जाती है। संबंधित जिला प्रशासनों को आवंटन राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

(ख) से (घ) तक: 2019-20 से, पश्चिम बंगाल सरकार को बीएडीपी के तहत 146.42 करोड़ रुपये (केन्द्रांश) जारी किए गए हैं। वर्तमान में, बीएडीपी के तहत चल रहे कार्यों के लिए सभी संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के संबंध में प्रतिबद्ध देनदारी की गणना केन्द्रांश 53.34 करोड़ रुपये की गई है जिसमे पश्चिम बंगाल के संबंध में 1.933 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं। इसे जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

*****